



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹9,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 292/2006 धारा- 324,325,308,323,504 भा०द०सं० व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामकृपाल पुत्र गिरधारीलाल तिवारी निवासी सिलौली थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को धारा-324,323,504 भा०द०सं० व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹9,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री विजय सिंह



विवेचक-
उ०नि० यदुनाथ सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का० शुभम